

[RULE 87 (5)]
Fire Audit Report
Year -2025

To

OWNER :- ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL –
MAIN BUILDING

ADDRESS :- 1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR
JABALPUR, M.P., PINCODE - 482001

SIR

Sub : Submission of fire audit report of building name ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL 1-Shakti Marg, Jabalpur Cantt Area, Sadar Jabalpur, M.P., pincode - 482001

I Er. SATYAM JAISWAL AS A Fire Engineer have inspected your building / premises on 01/02/2025 and checked all Fire Equipments / Installations and have completed the Fire Audit of the said Buliding / Premises for which Fire safety certificate No JBP/02FSC/02/2025 Dated 01/02/2025 issued by Fire Authority.

2.Details of fire system installed are as below

s.No.	Particular	Available/ Installed or not installed (as per requirements) (give comments)	comments for working of system (attach details, if needed)
1.	Access	YES	FRONT MAIN ROAD
2.	Wet Riser	NR	
3.	Down Comer	NR	
4.	Hose Reel	09 NOS	
5.	Automatic Sprinkler System	NR	
6.	Yard Hydrant	09 NOS	
7.	Underground Tank with Draw off Connection	NR	
8.	Terrace Tanks	(2000X5)= 10000 L	INTERCONNECTED
9.	Fire Pump	NR	
10.	Terrace Pump	10hp pump 900LPM	
11.	First Aid Fire Fighting Appliances	YES	

Satyam
Jaiswal Digitally
signed by
Satyam Jaiswal

12.	Pressurization System	NR	
13.	Auto Detection System	ALARM	
14.	Manual operated Electrical Fire Alarm System	NR	
15.	P.A. System with talk back facility	NR	
16.	Emergency Light	YES	
17.	Auto D.G. Set	YES	
18.	Illuminated Exit Sign	YES	
19.	Means of Escape	STAIR	
20.	Compartmentation	NR	
21.	MCB/ELCB	YES	
22.	Fireman Switch in Lift	NR	
23.	Hose Boxes with Delivery Hose and Branch	09NOS (2NOS HOSE IN 09 BOX) = 18HOSE	
24.	Refuge Area	NR	
25.	Any other installation		

Its is certified that the Installed Fire system as given above are in working condition and safe.

Occupancy Type :- EDUCATIONAL BUILDING :- SCHOOL

Building Ht :- 10.5 meter, floors G+2

Total Floor Area :- 44130.00.sqf

Total Plot Area :- 327571.2.sqf

As per the approved fire plan, ALARM SYSTEM AND HYDRANT AND HOSE REEL SYSTEM are installed and found Working at the time of audit.

FOLLOWS AS PER NBC 2016 PART IV TABLE NO 7 SUB DIVISION B1 (Sl.no-1) ROW.no - (i)

Satyam Jaiswal Digitally signed by Satyam Jaiswal
Signature

Date :01/02/2025

Er. SATYAM JAISWAL
Fire Engineer
L. No. :- 6824
CITY:- Jabalpur (M.P.)
MOB:- 9691663300

शर्तें

- 1). आवेदक / स्वामी को प्रदाय किया जा रहा फायर प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशाली रहेगा यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक वर्ष फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 2). यह फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट (G+2) जिसकी कुल हाइट लगभग 9 मीटर है के लिया दिया जा रहा है। यदि भविष्य में अन्यतल / शेषतल का इस्तेमाल हॉस्पिटल या किसी अन्य प्रकार के उद्देश्य के लिए करते है तो इन्हे लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा तथा भवन का पुनः फायर सैफ्टी इन्स्पेक्शन (Fire Safety Inspection) करवाकर नियमानुसार अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र . (Fire Safety Certificate) लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- 3). भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार भवन मालिक / भवन कर्मचारी / संस्था मैनेजर / संस्था के कर्मचारियों की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करवाकर किया गया है निरीक्षण के दौरान फिक्स्ड फायर फाइटिंग / इन्स्टलेशन / फर्स्ट ऐड फायर फाइटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है।
- 4). आवेदक को फायर सैफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग 04 में निर्धारित प्रावधानों एवं निर्धारित आईएसआई मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग 04 Table No 7 Sub Division B1 एवं (Si.No-1) Row.No - (i) मापदण्ड का पालन न पाये जाने पर फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र JBP/02FSC/02/2025 स्वतः निरस्त हो जावेगा। एवं भविष्य में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए पूरी तरह से भवन मालिक / संस्था डायरेक्टर / प्रोपराइटर स्वयं जिम्मेदार होंगे, अन्य कोई नहीं।
- 5). यह प्रमाण पत्र भू-उपयोग या भवन अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।
- 6). आवेदक को नियमानुसार अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आईएसआई मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- 7). दिनांक 30 जून से पहले प्रति वर्ष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराकर अग्नि विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8). दिनांक 30 जून से पहले विद्युत सुरक्षा विभाग में प्रति वर्ष इलेक्ट्रिकल सैफ्टी ऑडिट कराकर संबंधित डिपार्टमेंट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9). भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अन्तर्गत कोई भी त्रुटि पाये जाने पर संबंधित विभाग को इस प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 10). भविष्य में किसी प्रकार की आगजनी की अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके लिए भवन मालिक / संस्था डायरेक्टर/ संस्था प्रोपराइटर स्वयं जिम्मेदार होंगे अन्य कोई नहीं।
- 11). भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण के संचालन हेतु समय-समय पर भवन में मोकड्रिल एवं कार्यरत कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाना होगा एवं फायर अग्निशमक यंत्र रिफिलिंग की आदि की व्यवस्था समय-समय पर निर्धारित रूप से करवाना होगा।
- 12). उपरोक्त शर्तों का पालन न होने पर यह फायर सुरक्षा (Fire Safety Certificate) प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा।

FIRE SAFETY CERTIFICATENo.- **JBP/02FSC/02/2025**Dated :- **01/02/2025**

Certified that the **ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL**
AT 1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR JABALPUR,
M.P., PINCODE - 482001 comprised of Ground Floor and First Floor
(upper floors) owned/occupied by **THE JABALPUR DIOCESAN**
EDUCATIONAL SOCIETY (JDES) JABALPUR have complied with the
fire prevention and fire safety requirements in accordance with
Applicable Requirements as per National Building Code of India, and
Verified by **SATYAM JAISWAL** MP State Government Authorized
Engineer, L. No. :- **6824 - (01/02/2025 date of inspection)** in the
presence of **FR. V.V. DAVIES, PRINCIPAL** and that the building/premises
is fit for occupancy class with effect from **01/02/2025** for a period of
one year in accordance with rule and subject to compliance of the
conditions.

Date :- **01/02/2025**Place :- **Jabalpur**

Satyam Digitally
signed by
Jaiswal Satyam
Jaiswal
(Signature of Officer)

Name :- **SATYAM JAISWAL**Designation :- **FIRE ENGINEER**

Seal :-

TO

THE PRINCIPAL
ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL
1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR JABALPUR

[RULE 87 (5)]
Fire Audit Report
Year -2025

To

OWNER :- ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL –
PRIMARY SECTION BUILDING

ADDRESS :- 1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR
JABALPUR, M.P., PINCODE - 482001

SIR

Sub : Submission of fire audit report of building name ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL 1-Shakti Marg, Jabalpur Cantt Area, Sadar Jabalpur, M.P., pincode - 482001

I Er. SATYAM JAISWAL AS A Fire Engineer have inspected your building / premises on 01/02/2025 and checked all Fire Equipments / Installations and have completed the Fire Audit of the said Buliding / Premises for which Fire safety certificate No JBP/03FSC/02/2025 Dated 01/02/2025 issued by Fire Authority.

2.Details of fire system installed are as below

s.No.	Particular	Available/ Installed or not installed (as per requirements) (give comments)	comments for working of system (attach details, if needed)
1.	Access	YES	FRONT MAIN ROAD
2.	Wet Riser	NR	
3.	Down Comer	NR	
4.	Hose Reel	03 NOS	
5.	Automatic Sprinkler System	NR	
6.	Yard Hydrant	03 NOS	
7.	Underground Tank with Draw off Connection	NR	
8.	Terrace Tanks	5000 L	INTERCONNECTED
9.	Fire Pump	NR	
10.	Terrace Pump	05hp pump 450LPM	
11.	First Aid Fire Fighting Appliances	YES	

Satyam
Jaiswal Digitally
signed by
Satyam Jaiswal

12.	Pressurization System	NR	
13.	Auto Detection System	ALARM	
14.	Manual operated Electrical Fire Alarm System	NR	
15.	P.A. System with talk back facility	NR	
16.	Emergency Light	YES	
17.	Auto D.G. Set	YES	
18.	Illuminated Exit Sign	YES	
19.	Means of Escape	STAIR	
20.	Compartmentation	NR	
21.	MCB/ELCB	YES	
22.	Fireman Switch in Lift	NR	
23.	Hose Boxes with Delivery Hose and Branch	03NOS (2NOS HOSE IN 03BOX) = 06HOSE	
24.	Refuge Area	NR	
25.	Any other installation		

Its is certified that the Installed Fire system as given above are in working condition and safe.

Occupancy Type :- **EDUCATIONAL BUILDING :- SCHOOL**

Building Ht :- **10.5 meter, floors G+2**

Total Floor Area :- **20940.00.sqf**

Total Plot Area :- **327571.2.sqf**

As per the approved fire plan, ALARM SYSTEM AND HYDRANT AND HOSE REEL SYSTEM are installed and found Working at the time of audit.

FOLLOWS AS PER NBC 2016 PART IV TABLE NO 7 SUB DIVISION B1 (SI.no-1) ROW.no - (i)

Satyam Digitally
Jaiswal signed by
 Satyam
 Jaiswal
 Signature

Date :01/02/2025

Er. SATYAM JAISWAL
Fire Engineer
L. No. :- 6824
CITY:- Jabalpur (M.P.)
MOB:- 9691663300

शर्तें

- 1). आवेदक / स्वामी को प्रदाय किया जा रहा फायर प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशाली रहेगा यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक वर्ष फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 2). यह फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट (G+2) जिसकी कुल हाइट लगभग 9 मीटर है के लिया दिया जा रहा है। यदि भविष्य में अन्यतल / शेषतल का इस्तेमाल हॉस्पिटल या किसी अन्य प्रकार के उद्देश्य के लिए करते है तो इन्हे लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा तथा भवन का पुनः फायर सैफ्टी इन्स्पेक्शन (Fire Safety Inspection) करवाकर नियमानुसार अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र . (Fire Safety Certificate) लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह फायर सैफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- 3). भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार भवन मालिक / भवन कर्मचारी / संस्था मैनेजर / संस्था के कर्मचारियों की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करवाकर किया गया है निरीक्षण के दौरान फिक्स्ड फायर फाइटिंग / इन्स्टलेशन / फर्स्ट ऐड फायर फाइटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है।
- 4). आवेदक को फायर सैफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग 04 में निर्धारित प्रावधानों एवं निर्धारित आईएसआई मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग 04 Table No 7 Sub Division B1 एवं (Si.No-1) Row.No - (i) मापदण्ड का पालन न पाये जाने पर फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र JBP/03FSC/02/2025 स्वतः निरस्त हो जावेगा। एवं भविष्य में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए पूरी तरह से भवन मालिक / संस्था डायरेक्टर / प्रोपराइटर स्वयं जिम्मेदार होंगे, अन्य कोई नहीं।
- 5). यह प्रमाण पत्र भू-उपयोग या भवन अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।
- 6). आवेदक को नियमानुसार अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आईएसआई मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- 7). दिनांक 30 जून से पहले प्रति वर्ष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराकर अग्नि विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8). दिनांक 30 जून से पहले विद्युत सुरक्षा विभाग में प्रति वर्ष इलेक्ट्रिकल सैफ्टी ऑडिट कराकर संबंधित डिपार्टमेंट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9). भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अन्तर्गत कोई भी त्रुटि पाये जाने पर संबंधित विभाग को इस प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 10). भविष्य में किसी प्रकार की आगजनी की अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके लिए भवन मालिक / संस्था डायरेक्टर/ संस्था प्रोपराइटर स्वयं जिम्मेदार होंगे अन्य कोई नहीं।
- 11). भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण के संचालन हेतु समय-समय पर भवन में मोकड्रिल एवं कार्यरत कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाना होगा एवं फायर अग्निशमक यंत्र रिफिलिंग की आदि की व्यवस्था समय-समय पर निर्धारित रूप से करवाना होगा।
- 12). उपरोक्त शर्तों का पालन न होने पर यह फायर सुरक्षा (Fire Safety Certificate) प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा।

FIRE SAFETY CERTIFICATENo.- **JBP/03FSC/02/2025**Dated :- **01/02/2025**

Certified that the **ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL**
AT 1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR JABALPUR,
M.P., PINCODE - 482001 comprised of Ground Floor and First Floor
(upper floors) owned/occupied by **THE JABALPUR DIOCESAN**
EDUCATIONAL SOCIETY (JDES) JABALPUR have complied with the
fire prevention and fire safety requirements in accordance with
Applicable Requirements as per National Building Code of India, and
Verified by **SATYAM JAISWAL** MP State Government Authorized
Engineer, L. No. :- **6824 - (01/02/2025 date of inspection)** in the
presence of **FR. V.V. DAVIES, PRINCIPAL** and that the building/premises
is fit for occupancy class with effect from **01/02/2025** for a period of
one year in accordance with rule and subject to compliance of the
conditions.

Date :- **01/02/2025**Place :- **Jabalpur**

Satyam Digitally
signed by
Jaiswal Satyam
Jaiswal
(Signature of Officer)

Name :- **SATYAM JAISWAL**Designation :- **FIRE ENGINEER**

Seal :-

TO

THE PRINCIPAL
ST. ALOYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL
1-SHAKTI MARG, JABALPUR CANTT AREA, SADAR JABALPUR